

मध्यप्रदेश शासन  
गृह §सामान्य§ विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक-एफ 20-11/2001/दो-ए§3§  
प्राति,

भोपाल, दिनांक 7/7/2001

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश.

विषय :- दूरभाष देयकों के सत्यापन की जिम्मेदारी निर्धारण के संबंध में ।

-000-

मंत्रालय में पदस्थ मान० मंत्रागणों/आधिकारियों के निवास एवं कार्यालयों में स्थापित दूरभाषों के देयकों के सत्यापन एवं उसके भुगतान कराये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

§1§ मान० मंत्रागणों के पद छोड़ने एवं आधिकारियों के स्थानान्तरण के बाद, उनकी कार्य अवाधि के देयक सत्यापन की जिम्मेदारी मान० मंत्रागणों/आधिकारियों के निजी सचिव और यदि निजी सचिव पदस्थ न हो तो उनके निजी सहायक को होगा, यदि दूरभाष देयक के सत्यापन करने की कार्यवाही का पालन उनके द्वारा नहीं किया गया तो दूरभाष देयक की राशि उनके वेतन से काटे जाने की कार्यवाही की जावेगी ।

§2§ मान० मंत्रागणों के पद छोड़ने एवं आधिकारियों के स्थानान्तरण की सूचना तत्काल गृह विभाग को देने की जिम्मेदारी भी उनके निजी सचिवों एवं निजी सहायकों को होगी, ताकि उनके दूरभाषों को सैफ कस्टडी में रखने तथा अन्य को आवंटित करने की कार्यवाही गृह विभाग द्वारा तत्काल की जा सके । यदि ऐसा नहीं किया गया तो मान० मंत्रागणों के पदभार छोड़ने या आधिकारियों की अवाधि से लेकर सूचित करने तक की अवाधि के देयक का भुगतान उनके वेतन से कटौती से किया जावेगा । इस अवाधि के बाद के उस, अवाधि के देयकों का भुगतान जिस अवाधि में दूरभाष सैफ कस्टडी में

रखे गये या रहे, या अधिकारियों को आवंटित नहीं हो सके, अनुभाग अधिकारी गृह §सामान्य§ विभाग के सत्यापन के बाद किया जावेगा

§3§ उपलब्ध निर्देशों के अनुसार गृह §सामान्य§ विभाग द्वारा मा. मंत्रीगणों एवं मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों को दूरभाषों का आवंटित किया जाता है। किन्तु प्रशासकीय विभाग के अधीन किसी अधोनस्थ अधिकारियों को दूरभाष स्वीकृत करने के मामलों प्रशासकीय विभाग स्तर पर विस्तृत विभाग की सहमति से किया जावे। इसके लिए गृह विभाग की सहमति/स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

§4§ विभिन्न आयोगों के गठन के बाद भी दूरभाष स्वीकृति के प्रस्ताव गृह §सामान्य§ विभाग को प्राप्त होते हैं, ऐसे प्रस्तावों पर भी गृह विभाग के स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब आयोगों के लिए आवश्यक दूरभाष स्वीकृति पर प्रशासकीय विभाग विस्तृत विभाग की सहमति से निर्णय लेने में सक्षम है। किसी विशिष्ट मामले में यदि प्रशासकीय विभाग आवश्यक समझे तो सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति/मत अवश्य प्राप्त करें।

*[Signature]*  
13/7/2001

§ बी. आर. ठाकरे §  
अवर सचिव

म. प्र. शासन, गृह §सा. § विभाग.  
भोपाल, दिनांक 17/7/2001

पृ० क्रमांक-सफ 20-11/2001/दो-ए§3§  
प्रतिनिधि:-

- §1§ महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, भोपाल.
- §2§ निज सचिव, मान. मुख्यमंत्री/मान. समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण.
- §3§ निज सचिव, मान. अध्यक्ष, म. प्र. विधानसभा, भोपाल.
- §4§ सचिव, म. प्र. विधानसभा सचिवालय, भोपाल.
- §5§ प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, विस्तृत विभाग.
- §6§ प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
- §7§ राज्य अधिकारी, भारत संचार निगम लि. भोपाल/ कार्यालयिक संचालक, भारती टेलीनेट लि. भोपाल.

को और चतुर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।

*[Signature]*  
अवर सचिव  
म. प्र. शासन, गृह §सा. § विभाग